

कार्यालय कलेक्टर (भू-परिवर्तित शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)  
// ज्ञापन //

क्रमांक / 273 / अधी. / भू-परि. / 2017

जगदलपुर, दिनांक 12/09/2017

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी,  
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC)  
जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)

विषय:- विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व-सक्रिय प्रकटीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) क (ख) में निहित प्रावधान के तहत कार्यवाही बाबत ।

संदर्भ:- कले. जिला-बस्तर के पत्र क्रं. 16/छ.सू.अ./2017 जगदलपुर दिनांक 05.09.2016

—00—

विषयांतर्गत पत्र अवलोकन करने का कष्ट करें । संदर्भित पत्र के माध्यम से कार्यालय भू-परिवर्तित शाखा जगदलपुर का विभागीय जानकारी संलग्न कर इंटरनेट पर स्व-सक्रिय प्रकटीकरण राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के माध्यम से विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु इस कार्यालय की जानकारी प्रेषित है ।

अतः पत्र के साथ संलग्न जानकारी आज ही वेबसाइट में अपलोड कर इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें ।

संलग्न:- जानकारी

पृ. क्रमांक / अधी. / भू-परि. / 2017  
प्रतिलिपि:-

जन सूचना अधिकारी जिला कार्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।

डिप्टी कलेक्टर  
वास्ते कलेक्टर जिला-बस्तर  
जगदलपुर, दिनांक /09/2017

डिप्टी कलेक्टर  
वास्ते कलेक्टर जिला-बस्तर

कार्यालय कलेक्टर (भू-परिवर्तित शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)

—00—

भू-परिवर्तित शाखा में अधीक्षक भू-अभिलेख का 01 पद एवं सहायक अधीक्षक के 01 पद स्वीकृत हैं । अधीक्षक भू-परिवर्तित का पद वर्तमान में रिक्त है । वर्तमान में श्री सी. एल. ओंटी, अधीक्षक भू-अभिलेख अपने कार्य के साथ-साथ भू-परिवर्तित शाखा के कार्यों का भी संपादन कर रहे हैं ।

1. पदस्थापना:-

भू-परिवर्तित शाखा योजना के अंतर्गत निम्नानुसार पद स्वीकृत है-

क्र०	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
1	अधीक्षक भू-अभिलेख	01	—	01
2	सहा.अधी. भू-अभिलेख	01	—	01
3	राजस्व निरीक्षक	06	02	04
4	सहायक ग्रेड-3	02	01	01
5	चैनमेन	06	04	02
6	भृत्य	01	—	01
योग:-		17	07	10

भू-परिवर्तित शाखा में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति निम्नानुसार है-

राजस्व निरीक्षक:-

01. श्री सुनील चंद्र आचार्य, राजस्व निरीक्षक (वर्तमान में संलग्न पटवारी प्रशिक्षण शाला)
02. श्री महेन्द्र सिंह साहू, राजस्व निरीक्षक (वर्तमान में संलग्न तहसील-बास्तानार)

भू-परिवर्तित शाखा में वर्तमान में संलग्न राजस्व निरीक्षक :-

01. श्री अजेन्द्र कुमार पानीग्राही, राजस्व निरीक्षक वर्तमान में भू-परिवर्तित शाखा में संलग्न है, किन्तु उनका वेतन आहरण भू-अभिलेख शाखा जगदलपुर से किया जा रहा है ।

चैनमेन एवं भृत्य:-

01. श्री कमलू राम माली, चैनमेन
02. श्री बी. भुजंग राव, चैनमेन
03. श्री विनय कृष्ण मण्डल, चैनमेन
04. श्री सीता राम ठाकुर, चैनमेन

स्थापना शाखा :-

भू-परिवर्तित शाखा में वर्तमान में श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड-03 दिनांक 21.08.2014 से कार्यरत हैं । जो संबंधित कार्यों का संपादन करते हैं ।

2. सेवा पुस्तिका:-

शाखा में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका संधारित है । सेवा पुस्तिका में दिनांक 28.02.2017 की स्थिति में सेवा सत्यापन प्रविष्टि पूर्ण है ।

1. श्रीमती सौभागिनी सामंत, सहा0 ग्रेड-03
2. श्री सुशील कुमार पाण्डे, स.अ.भू.अ. (सेवा निवृत्त दिनांक 31.05.2017)
3. श्री सुनील चंद्र आचार्य, राजस्व निरीक्षक
4. श्री कमलू राम माली, चैनमेन
5. श्री बी. भुजंग राव, चैनमेन
6. श्री विनय कृष्ण मण्डल, चैनमेन
7. श्री सीता राम ठाकुर, चैनमेन

3. सामान्य भविष्य निधि:-

भू-परिवर्तित शाखा में कार्यरत कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि पास-बुक संधारित है एवं प्रविष्टि पूर्ण है ।

4. विभागीय भविष्य निधि:-

कार्यरत कर्मचारियों की विभागीय भविष्य निधि पंजी संधारित है । प्रविष्टि पूर्ण कर चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की ब्याज पर्ची गणना कर कर्मचारियों को वितरित किया जाता है ।

5. पेंशन प्रकरण:-

कार्यालय में सेवा निवृत्त/मृत कर्मचारी के पेंशन प्रकरण लंबित नहीं है । वर्तमान में श्री सुशील कुमार पाण्डे, दिनांक 31.05.2017 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं । जिसका पेंशन प्रकरण तैयार कर संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन जगदलपुर को प्रेषित किया गया है ।



6. स्टेशनरी पंजी:-  
पंजी संधारित है । स्थानीय स्तर पर कय की गई सामग्री का पंजी में इन्द्राज उपरांत वितरण किया जाता है ।
7. देयक पंजी:-  
पंजी संधारित है । पंजी में सभी प्रविष्टियों पूर्ण की जाती है ।
8. रोकड़ पंजी:-  
रोकड़ पंजी निर्धारित प्रपत्र में संधारित है । वर्तमान रोकड़ पंजी भाग 01 दिनांक 02.11.2014 से प्रारंभ किया गया है । पृष्ठ क्रं. प्रमाणित है पिछले रोकड़ पंजी की बचत राशि रोकड़ पंजी में प्रविष्टि कर प्रमाणित किया गया है । दिनांक 04.08.2017 को रोकड़ पंजी में बचत राशि 30.00 रु. एवं बैंक में 0.00 (शून्य) रु. स्टेटमेंट के अनुसार है । आहरण राशि की प्रविष्टि पंजी में दर्ज किया जाता है ।
9. अग्रिम पंजी:-  
सामान्य भविष्य निधि/विभागीय भविष्य निधि अग्रिम पंजी संधारित है । वेतन से अग्रिम की वसूली की जाकर पंजी में इन्द्राज किया जाता है ।
10. लेखन सामाग्री एवं स्कंध पंजी:-  
नियमानुसार लेखन सामाग्री कय कर लेखनसामाग्री पंजी में नियमित रूप से इन्द्राज की जाती है ।
11. यात्रा देयक पंजी:-  
पंजी संधारित है ।
12. मासिक व्यय पत्रक पंजी:-  
पंजी संधारित है । प्रतिमाह आयुक्त भू-अभिलेख छ0ग0 को प्रेषित की जा रही है ।
13. चिकित्सा प्रतिपूर्ति पंजी:-  
पंजी संधारित है । कार्यालय में किसी भी कर्मचारी का चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक भुगतान हेतु लंबित नहीं है ।
14. आकस्मिक निधि पंजी:-  
पंजी निर्धारित प्रपत्र में संधारित है । देयकों का आकस्मिक निधि पंजी में इन्द्राज कर देयक आहरण करने की कार्यवाही किया जाता है ।

15. वेतनवृद्धि पंजी:-

पंजी संधारित है । कर्मचारियों का वेतन वृद्धि नियमित रूप से स्वीकृत किया जाता है । श्रीमती मनु मिश्रा, सहायक ग्रेड-03 को दिनांक 01.03.2017 से भू-परिवर्तित शाखा में संलग्न किया गया है, जिनका वेतन भू-अभिलेख शाखा, जिला कार्यालय जगदलपुर से आहरण किया जाता है । वे नव नियुक्त कर्मचारी है, वर्तमान में भू-परिवर्तित शाखा के कार्यों के सम्पादन में सहयोग करते हैं । शाखा में पदस्थ सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जाता है ।

16. भू-परिवर्तित शाखा में संलग्न डाटा एन्ट्री ऑपरेटर:-

श्री चिम्न लाल (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) भू-अभिलेख से भू-परिवर्तित शाखा में संलग्न है, जो भू-परिवर्तित शाखा में कम्प्यूटर से संबंधित कार्यों का सम्पादन करते हैं, किन्तु उनका वेतन आहरण भू-अभिलेख शाखा से किया जाता है ।

17. भू-परिवर्तित प्रकरण:-

नवीन राजस्व वर्ष 2016-17 का प्रकरण पंजी संधारित है । शीर्ष अ-2 भू-परिवर्तित प्रकरण पंजी संबंधित प्रकरण पंजियों में प्रविष्टि किया जाता है । पंजी में प्रकरण प्रारंभ करने की तिथि अंकित किया जाता है । प्रकरण क्रमांक के साथ ही प्रकरण प्रारंभ होने की तिथि एवं पंजियों में उल्लेखित सभी कालमों की पूर्ति किया जाता है ।

18. भू-भाटक निर्धारण की वसूली:-

भू-परिवर्तित प्रकरणों पर वार्षिक पुनर्निर्धारण, परिवर्तित उपकर, प्रीमियम, अधोसंरचना विकास कर, पर्यावरण उपकर एवं अर्धदण्ड निर्धारण उपरांत प्रकरणों में नियमानुसार राशि वसूल किया जाता है तथा राशि वसूली की मासिक जानकारी प्रतिमाह कलेक्टर, राजस्व शाखा जिला कार्यालय जगदलपुर को प्रेषित किया जाता है ।

19. अभिलेख पंजी -

अभिलेख पंजी संधारित है । विभिन्न न्यायालयों एवं मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा से प्राप्त मॉग पत्र के अनुसार प्रकरण इंड्राज कर प्रेषित किया जाता है ।

20. दैनिकवाद पंजी:-

वाद पंजी संधारित है । प्रतिमाह सुनवाई की गई प्रकरणों की प्रविष्टि काज पंजी में इंड्राज किया जाता है ।



21. भू-परिवर्तित से संबंधित शीर्षवार कार्य का विवरण:-

1. शीर्ष अ-2 के तहत भू-परिवर्तित प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया जाता है ।
2. विभिन्न न्यायालयों से भू-परिवर्तित से संबंधित प्राप्त प्रकरणों पर राजस्व निरीक्षक भू-परिवर्तित से स्थल जांच प्रतिवेदन निर्धारण सहित प्राप्त कर अधीक्षक भू-परिवर्तित के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कर आदेशार्थ हेतु संबंधित न्यायालय को प्रेषित किया जाता है ।

  
डिप्टी कलेक्टर  
खास्ते कलेक्टर जिला-बस्तर